

यासकत झाने सवेगा तो उस क्षेत्र में वर्तमान सवारी गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाकर और पर्वीप्त संख्या में स्पेशल गाड़ियां चलाकर उसकी निकासी करने का विचार है।

अपर ताप्ती परियोजना को पंचवीं योजना में शामिल करने के बारे में मध्य प्रदेश का प्रस्ताव

45. श्री फूजबन्द बर्मा : क्या सिंचाई और बिद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपर ताप्ती परियोजना का प्रारूप पांचवी पंच-वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) क्या इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को लाभ होगा और दोनों राज्यों के सहयोग और सहमति में ही इस परियोजना का नाम "अपर ताप्ती परियोजना" रखा गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और बिद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) में (ग). महाराष्ट्र सरकार ने 87 93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अपर ताप्ती परियोजना चरण-दो के लिये ह्याल ही में रिजिस्ट्रेंट तथा प्रारम्भिक बीजे हैं। इस परियोजना को मध्य प्रदेश में 46,681 हैक्टेयर और महाराष्ट्र में 59,849 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के संयुक्त उपक्रम के रूप में बनाने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना में निम्नलिखित निर्माण कार्य परिकल्पित हैं :—

(1) खरिभ मुठीघाट के निकट ताप्ती नदी पर एक मुख्य बांध और लगभग 70 किलो मीटर लंबी नवाधा में एक व्यपवर्तन बांध।

(2) खरिया गुठीघाट बांध से सीधे निकलने वाली खरिया वाम तट नहर।

(3) नवाधा व्यपवर्तन बांध से निकलने वाली नवाधा दक्षिण तट नहर।

(4) हतनूर दक्षिण तट नहर चरण-दो, जो कि चरण-एक नहर के विस्तार के रूप में होगा।

बोनस के मामले पर रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की खसकी

46. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

श्री अर्थकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों ने बोनस के मामले को लेकर हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक मजदूरों को बोनस के भुगतान का विनियमन बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 द्वारा किया जाता है; यह अधिनियम सरकार के विभागीय उपक्रमों पर लागू नहीं होता जिसमें रेलें भी शामिल हैं।